

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

आवास विभाग।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्,

लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1 लखनऊ: दिनांक—30 दिसम्बर, 2002

विषय : वन टाइम सेटलमेन्ट योजना—ओ.टी.एस.—2002 योजना में दिनांक—31.01.03 तक वृद्धि किये जाने

विषयक।

महोदय,

प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों क्रेताओं एवं ऋण गृहीताओं के प्रकरणों के समाधान हेतु शासनादेश संख्या 3201 / 9—आ—1—02 दिनांक 12. 08.02 द्वारा ओ.टी.एस. योजना लागू की गयी थी। उक्त शासनादेश की समय—सीमा में दिनांक 28.09.02 को दिनांक 30.11.02 तक की वृद्धि की गयी थी।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त उक्त ओटीएस योजना की समय सीमा दिनांक 31.01.03 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। योजनान्तर्गत दिनांक 01.01.03 से 31.01.03 तक विलम्ब प्रोसेसिंग शुल्क सहित आवेदन किये जा सकेंगे।

3. कृपया पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 12.08.02 की शर्तों के अधीन दिनांक 01.01.03 से दिनांक 31.01.03 तक ओ.टी.एस. की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या—5844 (1) / 9—आ—1—02, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री।

2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।

3. महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी प्राधिकरणों में आवश्यकतानुसार सब—रजिस्टर की उपलब्धता इस अवधि में

उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।

4. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव।

6. प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव।

7. आवास बन्धु।

8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।